

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
EASTERN ZONE**

Original Application No.11 of 2024/EZ

IN THE MATTER OF :

Pollution level is increasing in the City due to dumping of garbage in the Dardha River of Jehanabad, Bihar.

..... Applicant

Versus



The Principal Secretary,
Department of Environment,
Govt. of Bihar & Ors.

..... Respondents

I N D E X

S.N.	Particulars	Pages
1.	Supplementary Affidavit on behalf of Respondent No.5.	01-13A
02.	<u>Annexure-A</u> : Xerox copy of Memo No.-1107 dated 21.03.2025.	14-17
03.	<u>Annexure-B</u> : Xerox copy of vide Memo No.-511 dated 05.03.2025.	18-24
04.	<u>Annexure-C</u> : Xerox copy of Letter No. 230 dated 29.01.2025	25-27
05.	<u>Annexure-D</u> : Xerox copy of Letter No. 716 dated 19.03.2025	28-29
06.	<u>Annexure-E</u> : Xerox copy of advertisement vide PR.No. 022321 (B&C) 2024-25	30
07.	<u>Annexure-F</u> : Xerox copy of Letter No.1137 dt. 24.03.25	31
08.	<u>Annexure-G</u> : Xerox copy of Letter No. 759 dated 25.03.2025	32-33





BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
EASTERN ZONE

Original Application No.11 of 2024/EZ

IN THE MATTER OF :

Pollution level is increasing in the City due to dumping of garbage in the Dardha River of Jehanabad, Bihar.

..... Applicant

Versus

The Principal Secretary,
Department of Environment,
Govt. of Bihar & Ors.


..... Respondents

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT ON BEHALF OF
RESPONDENT NO.5

I, Surabhi Sinha, Project Officer-cum-Deputy Director, D/o- Sri Jagdamb Kumar, aged about 30 years, residing at Subhash Nagar, Khemnichak, Patna, Pin Code: 800027, do hereby solemnly affirm and state as follows

:-

1. That I have been posted as the Project Officer-cum-Deputy Director and duly authorized to swear and affirm this affidavit on behalf of the Secretary, Urban Development and Housing




*Page 01 to 13A
(thirteen A)
Annex - A to G
Page 14 to 33
(thirty three)*

03/04/2025

03/04/2025

Department, Govt. of Bihar (Respondent No.5) and I am well conversant with the facts and circumstances of the case

2. That the present supplementary affidavit is being filed relating to the case of Jehanabad Sewage Treatment Plant (STP) pending before the Hon'ble National Green Tribunal (NGT).
3. That instant Supplementary Affidavit is being filed in compliance with and in the light of the order dated 17.02.2025 passed in the present O.A. by this Hon'ble Tribunal.
4. That, by the aforementioned order the by the Hon'ble NGT has granted four weeks time to the State Government to file further Progress Report.
5. That in the counter affidavit filed earlier, as per the updated factual status of the Jehanabad STP, revised DPR of Rs. 328.94 Crores was prepared on 29.01.2025, which was approved by the Bihar Urban Infrastructural Development Corporation Ltd. (BUIDCo) and subsequently, by the State Level



Technical Committee (SLTC) on 04.02.2025 and it was sent to the LOK VITT COMMITTEE on 13.02.2025 for approval.

6. That with regards to above project, the latest factual status is that Urban Development and Housing Department, Govt. of Bihar has issued a Resolution vide Memo No.-1107 dated 21.03.2025 under the signature of the Secretary, UD & HD, GoB, whereby and where under the administrative approval for Jehanabad, Sewerage Network Project, costing Rs. 3,28,94,57,000/- under centrally sponsored, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT-2.0) has been granted, which was approved by the State Cabinet in its meeting dated 19.03.2025.

Since BUIDCo has been nominated as an implementing agency for execution of projects under AMRUT 2.0 and the process of tender for the said project is underway. Once the contract agreement is



signed, the project will be completed in a time period of 2 years.

Xerox copy of Memo No.-1107 dated 21.03.2025 is being annexed herewith and marked as Annexure-R5/A to this Supplementary Counter Affidavit.

7. That apart from the above, other updated factual progress/status in this matter are being stated as here under:-

A. Review meeting under the chairmanship of the Secretary, UD & HD, GoB was held on 19.02.2025 for review of the matters concerned with the department, pending before the Hon'ble NGT in which various directives were given by the Secretary of the Department in all matters including the present one, which finds mention at Serial No.-03 of the Table prepared for the



proceeding of the meeting, issued vide Memo No.-511 dated 05.03.2025.

In the matter relating to dumping of garbage in Dardha River of Jehanabad (O.A. No.11/2024/EZ), following instructions/directives have been given:-

- (i) Model Structure and Model RFP for Bio-Remediation of Legacy Waste may be made available to the Executive Officer, Nagar Parishad, Jehanabad from Headquarter Level.
- (ii) Environmental Clearance should be obtained at the Headquarter level by coordinating State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA).
- (iii) The Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) may be requested to co-operate in obtaining Environmental Clearance for the Land Fill Site and dumping work.




Xerox copy of vide Memo No.-511 dated 05.03.2025 is being annexed herewith and marked as Annexure-R5/B to this Supplementary Counter Affidavit.

B. Thereafter, in the light of direction given by the Secretary, UD & HD, GoB in the aforesaid meeting, the Executive Officer, Nagar Parishad, Jehanabad vide Letter No. 423 dated 19.03.2025 made available the compliance report to the Joint Secretary, UD & HD, whereby he has reported as follows :-

(i) Survey work of Legacy Waste by Drone has been completed.

(ii) Vide Jehanabad Nagar Parishad's Office Letter No. 230 dated 29.01.2025, NOC has been sought from the BSPCB for Scientific Land Fill Site and in the light of the instructions received



from BSPCB's Letter No. 123 dated 30.01.2025 the Jehanbad Nagar Parishad vide Letter No.297 dated 05.02.2025 requested the SEIAA, Bihar for obtaining Environmental Clearance.

Xerox copy of Letter No. 230 dated 29.01.2025 is being annexed herewith and marked as Annexure-R5/C to this Supplementary Counter Affidavit.


C. Thereafter, the Executive Officer, Nagar Parishad, Jehanabad vide Letter No. 716 dated 19.03.2025 has requested the Director (Advertisement) Information and Public Relation Department, Govt. of Bihar, Patna for publication of the Notice No.16/2024-25 regarding Short Term Quotation Inviting Notice for selection of Firm/ Agency for



uploading the application for obtaining Environmental Clearance from SEIAA to develop Sanitary Land Fill Site. Accordingly the Request for Quotation was published in the newspaper vide PR.No.022321(B&C) 2024-25.

Xerox copy of Letter No. 716 dated 19.03.2025 and copy of advertisement vide PR.No.022321(B&C) 2024-25 is being annexed herewith and marked as Annexure-R5/D&R6/E to this Supplementary Counter Affidavit.

D. Thereafter, the Project Officer-cum-Additional Director, UD & HD vide Departmental Letter No.1137 dated 24.03.2025 has directed the Executive Officer, Nagar Parishad, Jehanabad to make available updated compliance status, pursuant to the




direction given in the aforesaid Review Meeting dated 19.02.2025.

Xerox copy of Letter No.1137 dt. 24.03.25 is being annexed herewith and marked as Annexure-R5/F to this Supplementary Counter Affidavit.


E. In pursuance to above Departmental Letter, the Executive Officer, Nagar Parishad, Jehanabad vide Letter No. 759 dated 25.03.2025 has made available updated progress report to the Project Officer-cum-Additional Director, UD & HD, Bihar, Patna, wherein, the compliance report relating to the present matter, mentions as follows :-

(i) No waste is dumped in the Dardha River by the Nagar Parishad, Jehanabad as the waste is disposed at the identified dump site situated in Ward No.33.




(ii) Survey work of Legacy Waste has been done and the selected agency for survey in its report has mentioned the total amount of legacy waste of 4700 Tons. Vide Jehanabad Nagar Parishad's Letter No. 682 dated 12.03.2025, Model RFP has been sought from the Department for Remediation of the Legacy Waste and after availability of Model RFP, tender for Remediation of Legacy Waste will be invited.

(iii) Vide Jehanabad Nagar Parishad's Letter No.230 dated 29.01.2025 BSPCB has been requested to issue NOC for Scientific Land Fill Site and the BSPCB, in turn, vide Letter No.123 dated 30.01.2025 has directed the Jehanabad Nagar Parishad to obtain Environmental Clearance and in pursuance thereof vide Jehanabad Nagar Prishad's




Letter No.297 dated 05.02.2025 SEIAA, Bihar has been requested to issue Environmental Clearance. Jehanabad Nagar Parishad vide Office Memo No. 717 dated 19.03.2025 has published Quotation Inviting Notice for selection of agency, which will submit online application with required documents on Parivesh Portal 2.0 for obtaining Environmental Clearance for Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) in the light of the directive received from the Member Secretary, SEIAA, Bihar vide Letter No. 55 dated 17.02.2025.

Xerox copy of Letter No. 759 dated 25.03.2025 is being annexed herewith and marked as Annexure-R5/G to this




Supplementary Counter
Affidavit.

8. That it is evident from the above paragraphs that all the solid and liquid waste issues are being tackled by the Department holistically and in view of above facts and circumstances appropriate order may kindly be passed.
9. That I state that the contents of this affidavit and the annexures are true to the best of my knowledge and belief and based on available records.
10. That I solemnly affirm this affidavit in support of my case before the Hon'ble Tribunal, and no part of it is false, nor has anything been concealed therein.
11. That it is respectfully submitted that in delay in compliance solely due to practical difficulties beyond the control of the authorities. The answering respondent remains committed to fulfilling the directives of the Hon'ble Tribunal and seeks reasonable time for the completion of the work as enumerated hereinabove.



02/04/2025

12. That the statements made in paragraph No.1 to 11 are stated hereinabove are true to my knowledge and based on records maintained by the office of the Respondent and the rest thereof are my humble submissions before this Hon'ble Tribunal.




Surabhi Sinha
3/04/25
Deponent.

VERIFICATION

I, Surabhi Sinha, the Deponent hereinabove, do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 12 of this supplementary affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed there from.

Verified at Patna this 03 (Date) day of July (Month), 2025.


Surabhi Sinha
 Sri/Smt./Mr./Mrs. _____
 who has/have identified by _____
 Advocate, solemnly affirmed & declared the
 same before me
 NOTARY PUBLIC PATNA
 Date: 03/07/25

Surabhi Sinha
3/04/25
 DEPONENT

Surabhi Sinha

Deponent/Excutor

ADK
 ID No. 7216 7077 9524



I identified the deponent/ executor who has/have
 signed this affidavit with thumb impression in
 my presence
 Advocate: ADK
 Regd. No. 248109 & Date 03.04.2025

03/04/25

A

भारत सरकार





सुरभि सिन्हा
Surabhi Sinha
 जन्म तिथि/ DOB: 28/07/1994
 महिला / FEMALE
 7216 7077 9524



मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार



व्यक्तिगत पहचान प्राधिकरण
PERSONAL IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
 आत्मजा: जगदम्ब कुमार,
 सुमाष नगर, मेन रोड, वेस्ट
 ऑफ खेमनीचक, न्यू
 जगनपुरा, पटना,
 बिहार - 800027

Address:
 D/O: Jagdamb Kumar, Subhash
 Nagar, Main Road, West of
 khemnichak, New Jaganpura,
 Patna,
 Bihar - 800027




 1800 300 1947

 help@uidai.gov.in

 www.uidai.gov.in

 NO. Fax: 9844327,
 Bangalore-560 001



03/04/2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

II संकल्प II

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत जहानाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रु० 3,28,94,57,000/- (तीन सौ अट्टाईस करोड़ चौरानबे लाख सत्तावन हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्चक्रण तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रूपये 26,20,00,00,000/- (छब्बीस सौ बीस करोड़ मात्र) की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

2. जलापूर्ति जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्चक्रण तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहरों में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व में कार्यान्वित की जा रही अमृत योजना, पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार वित्त पोषित होता रहेगा।

3. योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्स कमिटी, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (स्टेट हाई पावर्ड स्टेयरिंग कमिटी-एस०एच०पी०एस०सी०) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्नीकल कमिटी-एस०एल०टी०सी०) के गठन किये जाने का प्रावधान है।

4. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति/सिवरेज/पार्क/जल स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु रूपये 8481.138 करोड़ (आठ हजार चार सौ इक्कासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु० मात्र) के अनुमानित मूल्य पर सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें केन्द्रांश रूपये 2619.768 करोड़, राज्यांश (एस०एस०+यू०एल०बी०) रूपये 5838.369 करोड़ एवं 15वाँ वित्त आयोग की राशि रूपये 23.00 करोड़ शामिल है। 64 परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तैयार किये गये सिटी वाटर एक्शन प्लान का प्रस्ताव स्टेट हाई पावर्ड स्टेयरिंग कमिटी के समक्ष रखा गया, जिसपर समीक्षोपरांत राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस०एच०पी०एस०सी०) द्वारा दिनांक-12.09.2023 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरांत अपेक्स कमिटी द्वारा दिनांक-25.09.2023 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश की राशि रूपये 400.00 करोड़ तथा इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि रूपये 800.00 करोड़ अर्थात् कुल राशि रूपये 1200.00 करोड़ प्राप्त हुआ है।



270

2

5. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत जहानाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि करोड़ ₹)

क्र०सं०	परियोजनाओं का नाम एवं विवरणी	प्राक्कलित राशि	SLTC द्वारा अनुमोदित राशि
01	जहानाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना अंतर्गत 27 वार्डों के 16345 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 122 कि०मी० सिवरेज नेटवर्क, 3 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन, 2.760 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 14 MLD का सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट निर्माण का कार्य।	328.9457	केन्द्रांश-103.9518 राज्यांश-224.9939 कुल राशि-328.9457
कुल राशि		328.9457	328.9457

(तीन सौ अट्ठाईस करोड़ चौरानबे लाख सत्तावन हजार ₹)

6. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) को वर्ष 2025-26 तक क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्र प्रायोजित अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत परियोजना मद से राशि का व्यय किया जायेगा। शहरों की आबादी के अनुरूप अमृत-2.0 योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी निम्नवत् है:-

(क) 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से अनुमोदन के रूप में परियोजना लागत का 25% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 75% राज्य सरकार को वहन करना होगा।

(ख) एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा जबकि दो तिहाई राज्य सरकार को वहन करना होगा।


(ग) एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के परियोजना लागत का 50% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 50% राज्य सरकार को वहन करना होगा।

जहानाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना में कुल राशि रुपये 3,28,94,57,000/- का व्यय किया जाना है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	परियोजना की राशि (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि (राशि करोड़ में)
01	2024-25	82.00	82.00
02	2025-26	246.9457	246.9457
कुल राशि		328.9457	328.9457

अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत जहानाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रुपये 3,28,94,57,000/- (तीन सौ अट्ठाईस करोड़ चौरानबे लाख सत्तावन हजार ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।



8. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-19.03.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या- 28 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/-
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-15/AMRUT-08-26/2025

/न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


ह0/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-15/AMRUT-08-26/2025 1177

/न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक-21/3/25

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/निदेशक, AMRUT, भारत सरकार/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई-मेल करने/टीम लीडर, PDMC-AMRUT 2.0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।



-1 X

26

नगर विकास एवं आवास विभाग

.....


नगर विकास एवं आवास विभाग के संलेख ज्ञापांक-1881 दिनांक-18.02.2025 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-19.03.2025 में मद संख्या-28 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी सचिका लौटायी जाती है।

28. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत जहानाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 3,28,94,57,000/- (तीन सौ अट्ठाईस करोड़ चौरानबे लाख सत्तावन हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

28. स्वीकृत।

(निशीथ नर्मा)

सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग




दिनांक 19.02.2025 को सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में माननीय एन0जी0टी0 में विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-


दिनांक 19.02.2025 को सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभाग में माननीय एन0जी0टी0 से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें श्री अग्निमेष कुमार पराशर, प्रबंध निदेशक, बुडको, नगर आयुक्त, गया एवं दरभंगा, श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, श्री देवेन्द्र सुमन, अपर निदेशक (प्रभारी पदाधिकारी, NMCG), श्री राजेश कुमार तिवारी, उप सचिव (प्रभारी पदाधिकारी, SBM), श्री संदीप कुमार, अपर निदेशक (प्रभारी पदाधिकारी, AMRUT), बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के प्रतिनिधि, नगामि गंगे टीम के प्रतिनिधि, टीम लीडर, SBM तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान, जहानाबाद एवं दाउदनगर ने भाग लिया।

2. बैठक में सचिव महोदय द्वारा विभाग में माननीय एन0जी0टी0 से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई तथा मामले पर कंडिकावार निदेश दिए गए, जो निम्नवत हैं:-

क्र0 सं0	माननीय एन0जी0टी0 के मामले	अगली तिथि	स्थिति	निदेश
1	2	3	4	5
I.	<p>O.A.No. 155/2022/EZ</p> <p>Talab Bachao Abhiyan vs UOI & Ors.</p> <p>(This matter has been disposed of, but IA has been filed by the applicant): The issue in this matter is w.r.t. restoration of pristine glory of three lakes situated in Darbhanga, namely, Dighi, Ganga Sagar and Harai. The NGT directed to ensure that encroachments be removed from the three ponds and no untreated water shall enter the three ponds. Hon'ble NGT has also constituted a committee in Chairmanship of Secretary DoEFCC to overlook the progress.</p>	30.01.2025	<p>1. Storm water drainage योजना के लिए नाला को Outfall तक ले जाने के लिए नये alignment का निर्धारण नगर निकाय के प्रतिनिधि, बुडको के परियोजना निदेशक तथा Storm water के कार्य संवेदक द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षणोपरांत लिया गया है, जिसके आलोक में बुडको के अभियंता द्वारा Drawing में आवश्यक सुधार/अनुमोदन हेतु C.G.M. बुडको, पटना को सूचित किया गया है।</p> <p>2. हराही तलाब में Aeration द्वारा सफाई का कार्य किया रहा है।</p> <p>3. Storm wall drain को outfall तक ले जाने का कार्य प्रगति में है।</p> <p>4. तीन तलाबों के कार्य का Cabinet Approval प्राप्त है।</p> <p>5. दो Connecting pulls हेतु संचिका माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उपस्थापित है।</p> <p>6. BSPCB से भी सुझाव समर्पित किया गया है।</p>	<p>1. नये alignment के अनुरूप Drawing की स्वीकृति C.G.M. बुडको अविलम्ब समर्पित करें ताकि Storm water योजना के कार्य में कोई रुकावट नहीं हो।</p> <p>2. हराही तलाब के अनुरूप अन्य दो तालाबों यथा दिग्घी तथा गंगासागर में तत्काल Aeration विधि से सफाई का कार्य प्रारंभ किया जाए।</p> <p>3. दरभंगा I&D and STP परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु NMCG से अनुरोध किया जाय कि NGT का मामला है, इसे प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित करें।</p>



				(अनुपालन-नगर आयुक्त दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बुडको/श्री देवेन्द्र सुमन प्रभारी पदाधिकारी NMCG)
II.	<p>O.A.No. 132/2023/EZ</p> <p>Sidhnath Tiwari vs State of Bihar</p> <p>This matter relates to blockage of drain due to industrial and sewage effluent from Sector 47-49 Manpur, Gaya. In this case also construction of STP is in issue. Further in review meeting of CS it was decided to construct a industrial area for dying units of Gaya</p>	23.12.2024	<p>सलेमपुर पईन नाला की सफाई नगर निगम द्वारा लगातार करायी जाती है।</p> <p>Gaya I&D and STP परियोजना का DPR प्रशासनिक अनुमोदन प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा NMCG से पुनः अनुरोध किया गया है।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त कच्चे नालों को पक्का नाला बनाने के संबंध में PPT बुडको द्वारा तैयार नहीं किया गया है। राजीव देव PD, बुडको द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। दो दिनों के अन्दर PPT समर्पित करने का आश्वासन दिया गया है।</p>	<p>1. नगर आयुक्त गया द्वारा नाला सफाई से संबंधित फोटोग्राफ्स के साथ एक प्रतिवेदन दिया जाय, जिसे कार्यवाही के साथ संलग्न किया जा सके।</p> <p>2. Gaya I&D and STP परियोजना के लिए NMCG से समन्वयन स्थापित कर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया। Industrial Effluent का उपचार उद्योग विभाग द्वारा ETP के माध्यम से कराया जाय। इसके लिए उद्योग विभाग से पत्राचार किया जाय।</p> <p>3. कच्चे नालों को पक्का नाला बनाने के लिए बुडको द्वारा PPT नहीं दिखाने पर सचिव महोदय द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई तथा यथाशीघ्र PPT दिखाने का निदेश दिया गया।</p> <p>(अनुपालन-नगर आयुक्त गया/प्रबंध निदेशक, बुडको/श्री देवेन्द्र सुमन प्रभारी पदाधिकारी NMCG / उद्योग विभाग)</p>



<p>III.</p>	<p>O.A.No. 11/2024/EZ Suo Moto-Pollution level is increasing in the city due to dumping of garbage in Dardha river of Jehanabad This matter relates to dumping of garbage in Dardha river in Jehanabad.</p>	<p>05.02.2025 NGT ने UDHD को निर्देश दिया है कि NGT परियोजना का कार्य पूरा करने की समय सीमा बताते हुए C A file किया जाय।</p>	<p>i. नगर परिषद जहानाबाद द्वारा बताया गया कि किसी भी तरह का अपशिष्ट दरधा नदी या किसी भी अन्य प्रकार के जल स्रोत में नहीं किया जाता है। सारा अपशिष्ट वार्ड न0-33 में Dumping site पर किया जाता है। ii. विभाग द्वारा चयनित agency द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रिपोर्ट में Legacy waste की मात्रा (Tonne) स्पष्ट नहीं होने के कारण निविदा प्रकाशन में कठिनाई हो रही है। Landfill Site के लिए Environmental clearance के लिए Online apply करने हेतु रू0 5 लाख deposit करना है। Environmental clearance प्राप्त होने पर dumping का कार्य किया जाएगा। Legacy waste के लिए model estimate तथा model RFP की मांग कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को कार्यालय पत्रांक-230/मू0, दिनांक - 29.01.2025 से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक-123, दिनांक-30.01.2025 से प्राप्त निदेश के आलोक में State Environment Impact Assessment Authority Bihar को कार्यालय पत्रांक-297/मू0, दिनांक- 05.02. 2025 से Environment Clearance प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।</p>	<p>मुख्यालय स्तर से कार्यपालक पदाधिकारी, जहानाबाद को model estimate तथा model RFP उपलब्ध कराया जाए। 4. मुख्यालय स्तर से Environment Clearance के लिए SEIAA से समन्वयन कर Environment Clearance प्राप्त करने का निदेश दिया गया। 5. उक्त के संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भी Environment Clearance को प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन-कार्यपालक पदाधिकारी/ श्री राजेश तिवारी, उप सचिव, प्रमार्, पदाधिकारी, SBM/ BSPCB)</p>
-------------	---	--	---	---




Handwritten signature



<p>iv.</p>	<p>O.A.No. 188/2024/EZ Saurabh Narayan vs State of Bihar. This matter relates to discharge of untreated water from drains into river Ganga in Patna. UDHD has outsourced the work to M/S Nestbuild Infra Pvt. Ltd.</p>	<p>15.01.2025</p>	<p>I. आवेदक श्री सौरभ नारायण द्वारा दिनांक- 07.01.2025 को माननीय NGT में Case वापस लेने का आवेदन दिया गया है। II. संवेदक एवं NIT पटना को स्थिति स्पष्ट करने हेतु क्रमशः BGCMS के पत्रांक-10 दिनांक-09.01.2025 एवं पत्रांक-09, दिनांक-09.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। III. श्री सौरभ नारायण द्वारा E-mail दिनांक-15.01.2025 द्वारा Case वापस लेने का शपथ पत्र की प्रति भेजी गई है। IV. संवेदक द्वारा भी दिनांक-23.01.2025 को E-mail के माध्यम से अपना उत्तर समर्पित किया गया है। जिसमें उल्लेख है कि श्री सौरभ नारायण द्वारा संवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष नमूना से संग्रहण नहीं किया गया है। संवेदक द्वारा यह भी उल्लेख है कि उनके द्वारा किये गये कार्यों के जाँच IIT, Patna NIT, Patna तथा CPCB द्वारा किया गया है। NIT पटना द्वारा भी उनके E-mail दिनांक- 27.01.2025 द्वारा उत्तर भेजा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि NIT, Patna को ज्ञात नहीं है कि सौरभ नारायण द्वारा जाँच हेतु नमूना का संग्रहण कब किया गया तथा नमूना संग्रहण एवं जाँच किस विधि से किया गया है। पुनः उल्लेख है कि एकरारनामा के terms and condition तथा standards procedure of test के अनुसार NIT द्वारा जाँच की गई है। V. 507 नालों की जाँच विवरणी संबंधित नगर निकायों से भी मांग की गई है।</p>	<p>सभी संबंधित नगर निकायों से प्राप्त किये जाने वाले प्रतिवेदन के लिए Google Doc. बना कर Format में रिपोर्ट मंगाने का निदेश दिया गया। (अनुपालन- श्री देवेन्द्र सुमन प्रभारी पदाधिकारी NMCG)</p>
------------	---	-------------------	--	--

Handwritten signature or mark.



v.	<p>O.A.No. 606 of 2018/PB Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules. This matter relates to Solid and liquid waste. Construction of STP is being monitored in this case. Vide order dated 04-05-2023 the NGT has directed to create a ring fenced account and deposit Rs. 4000 crore for construction of STP and dealing with river pollution.</p>	<p>28.05.2025 को हिमाचल प्रदेश के प्रगति प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>दिनांक 20.10.2018 के आदेश से माननीय NGT ने प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।</p>	<p>Solid waste से संबंधित योजनाओं का review SBM के प्रभारी उप सचिव द्वारा किया जाएगा तथा Liquid waste से संबंधित कार्यों का review संयुक्त सचिव श्री मनोज कुमार द्वारा किया जाएगा। (अनुपालन- श्री राजेश तिवारी, उप सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, SBM/श्री देवेन्द्र सुमन प्रभारी पदाधिकारी NMCG)</p>
vi.	<p>O.A.No. 200 of 2014/PB M.C. Mehta vs UOI This matter relates to cleaning river Ganga. All the state through which river Ganga and its tributaries flow are party in this case (Uttarakhand, West Bengal, U.P., Bihar and Jharkhand). The Tribunal is dealing with each drain and each tributary which is going into Ganga. Also STP construction is in issue.</p>	<p>20.01.2025 for UP State</p>	<p>I. वैसे नाले जिनका एसटीपी के साथ जुड़ाव हो, वैसे नाले जो किसी योजना से जुड़े हो एवं वैसे नालों जो अनुमोदन की प्रत्याशा में हों, उनका जिलावार वर्गीकरण की सूची बुडको के पत्रांक - 507 दिनांक - 19.02.2025 के माध्यम से प्राप्त है। II. एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची नगर निकाय वार/जिलावार तैयार कर नमामि गंगा अन्तर्गत बन गये/ बन रहे एस.टी.पी. को दर्शाया गया है। III. जिला-32 नगर निगम-19 नगर परिषद-33 नगर पंचायत-03 IV. STP का ब्योरा:- A. पूर्ण योजना: - 18/(O&M - 12, trail and run - 06) B. निर्माणाधीन: - 14 C. निविदा प्रक्रिया - 05 DPR/TPA - 18</p>	<p>जिलावार एवं नगर निकायवारी STP से Tapped/Untapped नालों के संबंध में विवरणी विहित प्रपत्र में पुनः तैयार करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन - BUIDCO / श्री देवेन्द्र सुमन प्रभारी पदाधिकारी)</p>
vii.	<p>OA No. 491/2024/PB Suo-Moto- News item titled "Ganga water unsafe even for bathing, says Bihar govt. report on river pollution" appearing in Hindustan Times dated 26-02-2024</p>	<p>18.03.2025</p>	<p>I. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित Flood Plain Zoning (FPZ) के Draft Guidelines पर अनुपालन में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को टिप्पणियाँ भेजी गई हैं। II. तटबंधित नदियों के मामले में, तटबंध और नदी के बीच के क्षेत्र को बाढ़</p>	





<p>Order dated 25-11-2024 Hon'ble NGT directed NMCG to file a fresh affidavit in terms of the order dated 12-08-2024 keeping in view the observations made by Hon'ble NGT.</p> <p>Action:- Report on Gap analysis of sewage generation and STPs created for treatment, progress of sewerage projects was made available to NMCG in last hearing. Updated report will be sent to NMCG in due time if demanded by NMCG.</p>	<p>मैदान क्षेत्र के अंतर्गत घोषित करने के लिए, उचित मूल्यांकन किया जाना है। अनुपालन में जल संसाधन विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।</p> <p>III. तटबंध रहित नदियों के लिए FPZ के कार्यान्वयन के संबंध में, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एन.आई.एच.), रुड़की से बिहार में गंगा नदी की मुख्य धारा में चौसा (बिहार-यूपी सीमा) से मनिहारी (बिहार-झारखंड सीमा) तक बाढ़ के मैदानों के चित्रण और सीमांकन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। एन.आई.एच., रुड़की से 14.01.2025 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसकी समीक्षा जल संसाधन विभाग, सरकार द्वारा की जा रही है।</p> <p>IV. बिहार में FPZ का सीमांकन करने के लिए, सभी नदियों के उच्च-रिजॉल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) डेटा की आवश्यकता है, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया (एसओएल), पटना कार्यालय ने केवल सीमित चौड़ाई में गंगा नदी का डेटा उपलब्ध कराया। सर्वे ऑफ इंडिया, पटना कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार, सर्वे ऑफ इंडिया ऑनलाइन मैप पोर्टल से अपेक्षित डेटा डाउनलोड करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून कार्यालय से DEM डेटा प्राप्त किया गया है।</p> <p>V. राज्य में FPZ के कार्यान्वयन के संबंध में जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 20.12.2024 को उच्च स्तर पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-</p> <p>a. वैज्ञानिक अध्ययन करना तथा तदनुसार तटबंधित नदियों के लिए नदी और तटबंध के बीच के क्षेत्र के लिए Food Plain Zone घोषित करने के संबंध में कार्यकारी आदेश तैयार करना।</p> <p>b. बिना तटबंध वाली नदियों के लिए, विस्तृत अध्ययन के बाद बाढ़ मैदान</p>
--	---



			<p>क्षेत्र का चित्रण किया जाएगा। उपर्युक्त निर्णयों का अनुपालन प्रक्रियाधीन है, उत्तर बिहार की सभी घाटियों की नदियों पर निर्मित तटबंधों के बीच बसे गांवों के मानचित्र तैयार कर लिए गए हैं। तदनुसार अपेक्षित डेटा प्राप्त कर लिया गया है। बुडको से इससे संबंधित प्रतिवेदन यथा gap analysis Sewage treatment capacity created, capacity utilization एवं स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति, की मांग BGCMS के E-mail दिनांक-13.02.2025 द्वारा की गयी है।</p>	
--	--	--	---	--

3. अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

ज्ञापांक-

S11

दिनांक- 05.01.25

प्रतिलिपि-सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त राखिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

ज्ञापांक-

S11

दिनांक- 05.01.25

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बुडको/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद/नगर आयुक्त, गया एवं दरभंगा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

बिहार। ज्ञापांक-


S11

दिनांक- 05.01.25

प्रतिलिपि-श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव/श्री देवेन्द्र सुमन, अपर निदेशक/श्री संदीप कुमार, अपर निदेशक/श्री राजेश कुमार तिवारी, अपर निदेशक/ नमामि गो गो टीम के प्रतिनिधि, /श्री अपूर्व, टीम लीडर, स्वच्छ भारत मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।



ou



श्री दीनानाथ सिंह (वि० न० से०)
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जहानाबाद।

कार्यालय, नगर परिषद, जहानाबाद

Phone No. 0430030101

Email ID:- nagarparishad.jehanabad@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक- 230/11/0

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद जहानाबाद।

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Parivesh Bhawan, N.S.B.-2, Patliputra Industrial Area,
Patliputra, Patna-800010

जहानाबाद, दिनांक- 29/01/2025

विषय:- नगर परिषद, जहानाबाद का Land Fill के लिए उपलब्ध भूमि का पर्यावरणीय ऑडिट सम्पन्न कराने से पूर्व Pre Audit Information Checklist एवं Shape File (Kml) उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-4081/न०वि० एवं आ०वि०, बिहार, पटना, दिनांक-28.12.2024 एवं 185/न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-16.01.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि जिला पदाधिकारी महोदय, जहानाबाद के ज्ञापक-3067, दिनांक-05.12.2023 द्वारा नगर परिषद, जहानाबाद को टॉल अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के क्रियान्वयन के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु घोषी अर्धस अन्तर्गत मीजा-गोलकपुर, थाना न०-500, खाता न०-239, प्लॉट न०-891, रकबा-4.20 एकड़, नगर परिषद, जहानाबाद को हस्तांतरित की गई है। यहाँ यह भी सादर सूचित करना है कि संभावित Land Fill के अन्दर दो Pucca Houses अवैध रूप से निर्मित हैं, जिसे Land Fill के Development के समय खाली करा दिया जावेगा। Land Fill के लिए उपलब्ध भूमि का पर्यावरणीय ऑडिट सम्पन्न कराने से पूर्व Pre Audit Information Checklist एवं Shape File (Kml) तैयार कर भवदीय सेवा में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक-यथांश।


सादर सूचनाार्थ समर्पित।

पियारासभाजन

(Handwritten Signature)

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद जहानाबाद

(Handwritten Date)
29/01/25




कार्यालय, नगर परिषद जहानाबाद

PRE-AUDIT INFORMATION

Landfill Checklist


Sl. No.	ITEMS	YES	NO	STATUS
1	Is the landfill site 100 m away from river?	YES		
2	Is the landfill site 200 m away from Water bodies?	YES		
3	Is the landfill site 200 m away from highway?	YES		
4	Is the landfill site 200 m away from habitation?	YES		
5	Is the landfill site 200 m away from public parks?	YES		
6	Is the landfill site 200 m away from water supply wells?	YES		
7	Is the landfill site located within the flood plains as recorded for the last 100 years?		NO	
8	Is the landfill separated at least 2 m above the ground water table?	YES		
9	Is the landfill located on soils that have low permeability such as clays/silts?	YES		
10	Is the landfill site sloping away from the active face and well drained?	YES		
11	Is the landfill site 20 km away from Airports/ airbase?	YES		
12	Is the landfill site large enough to last for at least 20-25 years?	YES		
13	Is the landfill site selected to make use of nearby waste processing facility?	YES		
14	Is the landfill site within a wetland area?		NO	
15	Is the landfill site within critical habitat areas?		NO	
16	Is the landfill site within sensitive eco-fragile areas or eco-sensitive zone of a sanctuary?		NO	
17	Is temporary storage facility for Solid Waste available in each Landfill site to accommodate the waste in case of non-operation of waste processing and during emergency or natural calamities?	YES		
18	Dimension of landfill site.			800 Ft X 230 Ft
19	Estimated capacity of landfill site in T P D.	YES		62.46 TPD
20	Out of three general methods of landfill i.e Area method, trench method and Ramp or Slope method, which one is to be used?	YES		Area method

21/07/25
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जहानाबाद
21/07/25





अनुसन्ध - 06



वायु शैतिकल वेर (Bio-Medical
 Waste) प्र सामान्य कुश्-कचरा
 ली में किकल रखल भला है ।
 फर्के जान एर दशालक कारवाई की
 आरंभ
 आदेशानुसार
 कार्यपालक परधिकारी
 नगर प्रदेय, अमलावाय

श्री अशोक सिन्हा
 नगर प्रदेय, अमलावाय

ABHOY KUMAR SINHA
 NOTARY
 GOVT OF INDIA
 Regd. No. 8406
 Exp. 25-04-2026
 PATNA



कार्यालय, नगर परिषद, जहानाबाद

श्री दीनानाथ सिंह (वि० न० ७२०)
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जहानाबाद।

Phone No. 9430936161
Email ID:- nagarparishad.jehanabad@gmail.com

पत्रांक-.....३.१६.....

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद जहानाबाद।

सेवा में,

निदेशक (विज्ञापन)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक-.....१९/०९/२०२५

विषय:- Sanitary Land Fill Site विकसित करने के लिए SEIAA
Environmental Clearance हेतु सूचना सं०-१६/२०२४-२५ का
प्रकाशन करने के संबंध में।

महाराय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि इच्छुक प्रतिष्ठित फर्म/एजेंसी से नगर परिषद, जहानाबाद को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु घोषी अंचल अन्तर्गत मौजा-गोलकपुर, रकबा-४.२० एकड़ प्राप्त भूमि पर Sanitary Land Fill Site विकसित किया जाना है, जिसके लिए SEIAA से Common Municipal solid Waste Management Facility (CMSWMF) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु Parivesh Portal 2.0 पर वांछित दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन कर Environmental Clearance की आवश्यकता है। उक्त कार्य हेतु सूचना सं०- १६/२०२४-२५ का प्रकाशन किया जाना है, जिसे पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आग्रह है कि Sanitary Land Fill Site विकसित करने के लिए SEIAA से Environmental Clearance हेतु सूचना सं०-१६/२०२४-२५ का प्रकाशन को किन्ही दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जहानाबाद।





कार्यालय, नगर परिषद, जहानाबाद

श्री दीनानाथ सिंह (वि०न०से०)
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जहानाबाद।

Phone No. 9430928161
Email ID:- nagnrparishad.jahannabad@gmail.com

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

इच्छुक प्रतिष्ठित फर्म/एजेन्सी से नगर परिषद, जहानाबाद को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु घोषी अंचल अन्तर्गत मौजा-गोलकपुर, रकबा-4.20 एकड़ प्राप्त भूमि पर Sanitary Land Fill Site विकसित किया जाना है, जिसके लिए SEIAA से Common Municipal solid Waste Management Facility (CMSWMF) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु Parivesh Portal 2.0 पर वांछित दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन कर Environmental Clearance की आवश्यकता है। उक्त कार्य के लिए फर्म/एजेन्सी का चयन किया जाना है।

Work details:

1. Obtaining TOR (Term of Reference)
2. Baseline data generation
3. Technical assistance during Public hearing
4. Submission of final EIA report
5. Getting environmental clearance

Eligibility Criteria:

1. Agency should be approved by QCI-NABET
2. Agency should have In house NABL approved lab
3. Valid PAN & GST Certificate

Payment Terms:

1. On Submission of Form- 1 & PFR for TOR- 20%
2. On Collection of Baseline Data- 25%
3. On Completion of Public Hearing- 25%
4. On Submission of Final EIA report- 30 %

उक्त कार्य हेतु इच्छुक कंपनी/एजेन्सी/फर्म से सूचना प्रकाशन की तिथि से 03 (तीन दिनों) के अन्दर कार्यालय अवधि में कोटेशन बन्द लिफाफे में PAN एवं GST Certificate की छायाप्रति के साथ नगर परिषद कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। कार्य के उद्घृत दर सभी कर सहित एवं लागत सहित उद्घृत किया जाय।

हथ-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद जहानाबाद।

ज्ञापांक:- 717 दिनांक- 19/03/2025

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

103125
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद जहानाबाद।



बिहार सरकार



कार्यालय, नगर परिषद, जहानाबाद

Phone No. 9430938161, Email ID: nagarparishad.jehanabad@gmail.com

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

इच्छुक प्रतिष्ठित फर्म/एजेन्सी से नगर परिषद, जहानाबाद को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु घोषी अंचल अन्तर्गत मौजा-गोलकपुर, रकबा- 4.20 एकड़ प्राप्त भूमि पर Sanitary Land Fill Site विकसित किया जाना है जिसके लिए SEIAA से Common Municipal solid Waste Management Facility (CMSWMF) व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु Parivesh Portal 2.0 पर वांछित दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन का Environmental Clearance की आवश्यकता है। उक्त कार्य के लिए फर्म/एजेन्सी का चयन किया जाना है।

Work details:

1. Obtaining TOR (Term of Reference)
2. Baseline data generation
3. Technical assistance during Public hearing
4. Submission of final EIA report
5. Getting environmental clearance

Eligibility Criteria:

1. Agency should be approved by QCI-NABET
2. Agency should have In house NABL approved lab
3. Valid PAN & GST Certificate

Payment Terms:

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. On Submission of Form- 1 & PFR for TOR | - | 20% |
| 2. On Collection of Baseline Data | - | 25% |
| 3. On Completion of Public Hearing | - | 25% |
| 4. On Submission of Final EIA report | - | 30% |

उक्त कार्य हेतु इच्छुक कंपनी/एजेन्सी/फर्म से सूचना प्रकाशन की तिथि से 03 (तीन दिनों) के अन्दर कार्यालय अवधि में कोटेशन बन्द लिफाफे में PAN एवं GST Certificate की छायाप्रति के साथ नगर परिषद कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। कार्य के उद्धृत दर सभी कर सहित एवं लागत सहित उद्धृत किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी

PR. No. 022321(B&C) 2024-25

नगर परिषद जहानाबाद

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर कराये।



पत्रांक:-15/न्या०-06-03/2025

1137

न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

संदीप कुमार,
परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जहानाबाद।

पटना, दिनांक:-24/03/25

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अद्यतन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT का OA No-11/2024/EZ Pollution level is increasing in the city due to dumping of garbage in The Dardha River of Jehanabad, Bihar & Others. मामले में माननीय NGT के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना है।

2. दिनांक-19.02.2025 को सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में माननीय एन०जी०टी० में विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय NGT के मामले के संबंध में कंडिकावार निदेश दिए गए हैं, जिसकी सूचना ज्ञापांक-511, दिनांक-05.03.2025 द्वारा प्रेषित है।

3. अतः उपर्युक्त के आलोक में बैठक की कार्यवाही की कंडिका-03 में दिए गए निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन अद्यतन स्थिति के साथ 02 दिनों के अन्दर अचूक रूप से उपलब्ध कराया जाय, ताकि माननीय NGT के समक्ष ससमय विभाग का पक्ष रखा जा सके।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-24/03/25

ज्ञापांक:-15/न्या०-06-03/2025

1137

प्रतिलिपि:- श्री राजेश तिवारी, उप सचिव/टीम लीडर, SBM (PMU), नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं SBM से संबंधित अद्यतन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।



कार्यालय, नगर परिषद, जहानाबाद

श्री दीनानाथ सिंह (वि०न०से०)
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जहानाबाद।

Phone No. 9430928161
Email ID:- nagarparishad.jehanabad@gmail.com

पत्रांक- 759

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद जहानाबाद।

सेवा में,

श्री संदीप कुमार,
परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

जहानाबाद, दिनांक- 25/03/2025

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अद्यतन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रसंग:- मयदीय पत्रांक-1137 / नएवि० एवं आ०वि, दिनांक-24.03.2025
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है दिनांक-19.02.2025 को सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग महोदय की अध्यक्षता में माननीय NGT में विभाग से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है:-

क्र.सं.	लंबित प्रश्न	उत्तर
1	नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा दरघा नदी में कचरा Dump करने के संबंध में।	नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा किसी भी तरह का अपशिष्ट दरघा नदी में Dump नहीं किया जाता है। नगर परिषद द्वारा संग्रहित अपशिष्ट को यार्ड न०-33 स्थित चिन्हित Dump Site पर गिराया जाता है।
2	Legacy Waste का Remediation का कार्य सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।	Legacy Waste के सर्वे का कार्य करा लिया गया है। सर्वे उपरान्त घयनित एजेन्सी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में Legacy Waste की मात्रा कुल 4700.42177 टन अंकित की गई है। Legacy Waste के Remediation हेतु कार्यालय पत्रांक-682, दिनांक-12.03.2025 द्वारा विभाग से Model RFP की मांग की गई है। Model RFP उपलब्ध होने के उपरान्त Legacy Waste के Remediation हेतु निविदा की जा सकेगी।

26.03.25
S.O. 15
A.S.O. 15



<p>Scientific Landfill Site के लिए पूर्व से घोषी अंचल जहानाबाद अंतर्गत मौजा गोलकपुर में उपलब्ध 4.2 एकड़ भूमि पर सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए Sanitary Landfill का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद से इसकी अनापत्ति प्राप्त करने एवं Environment Clearance प्राप्त करने की कार्रवाई भी की जाय।</p>	<p>Scientific Landfill Site के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद को कार्यालय पत्रांक-230/मु0, दिनांक-29.01.2025 से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद के पत्रांक-123, दिनांक-30.01.2025 से प्राप्त निदेश के आलोक में State Environment Impact Assessment Authority, Bihar को कार्यालय पत्रांक-297/मु0, दिनांक-06.02.2025 से Environment Clearance प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है एवं सदस्य सचिव, State Environment Impact Assessment Authority, Bihar के पत्रांक-65, दिनांक-17.02.2025 से प्राप्त निदेश के आलोक में Common Municipal solid Waste Management Facility (CMSWMF) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु Parivesh Portal 2.0 पर वांछित दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन करने के लिए एजेन्सी का चयन हेतु कार्यालय ज्ञापनांक-717 दिनांक-19.03.2025 द्वारा कोटेशन आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई है, छायाप्रति संलग्न।</p>
--	---

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्यासभाजन

08/25/03/25

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जहानाबाद।

